(37)

प्रारूप–2

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक द्वितीय अलवर (राज.)

संख्यांकः– 37 दिनांकः– 30.01.16

प्रबन्धक

एम. एम. एस. मैमोरियल स्कूल
कुंडी बावल, कोटकासिम

विषयः– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा–18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 11 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय का मान्यता प्रमाण – पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके दिनांक 31.12.15 के आवेदन (प्रारूप 1 स्वघोषणा पत्र) और इस संबध मे विद्यालय के साथ पाश्चातवर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रतिनिदेश से मै .... एम. एम. एस. मैमोरियल स्कूल, कुंडी बावल, कोटकासिम अलवर / (विद्यालय का नमा पते सहित) को कक्षा I से कक्षा VIII तक के लिए अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो को पूरा किए जाने के अध्यधीन हैः–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणी नही है ओर उसमे किसी भी रूप मे कक्षा–8 के पश्चात मान्यता / सम्बधन के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नही है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधो का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 मे उस कक्षा के बालको की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस –पडौस के कमजारे वर्गो और अलाभप्रद समूह के बालको को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा–3 मे निर्दिष्ट बालको के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा –12 (2) के उपबंधो के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा ऐसी प्रतिपूर्तिया प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नही करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नही करेगा। यदि ऐसा प्रवेश जन्म स्थान धर्म जाति या प्रजाति या इनमे किसी एक उपलब्ध /निर्धारित आधार पर उत्तवर्ती चाहा गया है।
7. विद्यालय सुनिशचित करेगा किः–

Scanned by CamScanner

1. प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को विद्यालय मे उसी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा मे अनुत्तीर्ण नही किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जायेगा।
2. किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नही किया जायेगां
3. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नही की जायेगी।
4. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम–23 के अधीन अधिकथित किए अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगां
5. अधिनियम के उपबंधो के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्कता वाले विद्यार्थियो का समावेश किया जाना।
6. अध्यापको की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओ के साथ ही जाती है परन्तु और यह कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास स अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताए नही है पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताए अर्जित करेगे।
7. अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यो का पालन करता है और अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापो मे नियोजित नही करे।
8. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकाधिक पाठयचर्चा के आधार पर पाठयक्रम का पालन करेगां
9. विद्यांलय अधिनियम की धारा–19 मे अधिकथित, विद्यालय मे उपलब्ध प्रसुविधाओ के अनुपात मे विद्यार्थियो का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा–19 मे यथा निर्दिष्ट विद्यालय के मानको और संनियमो को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय प्रविवेदन की गई प्रसुविधाऐ निम्नानुसार है:–

विद्यालय परिसर का क्षेत्र
कुल निर्मित क्षेत्र
क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल
कक्षा कमरो की संख्या
प्रधानाध्यापक– सह–कार्यालय–सह–भण्डार कक्ष
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय
पेयजल सुविधा
मिड – डे –मील पकाने के लिए रसोई
बाधा रहित पहुँच
अध्यापक पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपस्करो/पुस्तकालय की उपलब्धता

11. विद्यालय के परिसरो के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाऐ नही चलाई जाएगी।
12. विद्यालय भवनो या अन्य संरचनाओ या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनो के लिए किया जाता है।

Scanned by CamScanner

13. विद्यालय को राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अधीन पंजीकृत किसी सोसायटी द्वारा या राजस्थान लोक नयास अधिनियम 1959 के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
14. विद्यालय को किसी व्यष्टि, व्यष्टियो के समूह या, किन्ही अन्य व्यक्तियो के लाभ के लिए नही चलाया जा रहा है।
15. विद्यालय के लेखाओ की चार्टड अकाउंटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमो के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) अलवर को भेजी जानी चाहिए।
16. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक.....37..... है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इसका उल्लेख करे।
17. विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) अलवर द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशो का पालन करता है जो मान्यता संबंधी शर्तो के सतत अनुपालना को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियो को दूर करने के लिए जारी किए जाऐ।
18. सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाए।
19. प्रत्येक सत्र का भवन सुरक्षा बनवाया जावे जिसकी प्रति कार्यालय मे जमा करावे।
20. विद्यालय भवन /स्थान/नाम मे बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के परिवर्तन नही किया जावे।
21. कक्षाऐ वर्षवार क्रमोन्नति की जावे।

भवदीय

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक द्वितीय अलवर

E:\manyta ne 31-01-16.doc

Scanned by CamScanner